(122)

229

माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर रीवा कैम्प.रीवा म0प्र0,

R 1592-II/12

यदुवंशमणि त्रिपाठी तनय श्री प्रयागमणि त्रिपाठी उम्री करीबन 42 साल पेशा- खेती निवासी सा0-गीनगवाँ पो0आँ0 गौरी थाना-शाहपुर तह0हनुमना जिलारीवा म0प्र0 -----आवेदक /निगराकार

बनाम

मुण्डा कोल तनय छोटे कोल उम्री करीबन 60 वर्ष,पेशा-खेती निवासी गीनगवा पो0आँ0गौरी थाना-शाहपुर तह0हनुमना,जिलारीवा म0प्र0,

-----अना0/गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री ओ.पी. मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। रीवा. दिनांक 10-5-2012

10-5-12

निगरानी विरूद्ध आदेश दि0-24/2/2012 पारित द्वारा अति0जिलाध्यक्ष रीवा,अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता 1959,

---

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्नांकित है :-

1- यह कि प्रश्नगत आदेश दि0-24/2/2012 विधि विधान के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

2- यह कि अधीनस्थन्यायालय ने प्रकरण को समय बाधित मान-कर खारिज कर दिया है,जबकि प्रकरण जानकारी के दिनांक से अवधि के भीतर था, उक्त आदेश की जानकारी नहीं दी गयी, और आदेश पारित करने के पूर्व भी अनावेदक को तलब नहीं किया गया, जब जानकारी हुयी तभी से म्याद की गणना शुरू होगी, परन्तु इस महत्वपूर्ण कारी बिन्दु की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया।

3- यह कि धारा 5 म्याद अधिनियम का आदेश दिया गया था, और शपथपत्र भी दिया गया था,तब उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण में सुनवाई की जानी चाहिये थी,जो न कर न्याय से वंचित किया गया है।

4- यह कि तहसील में अनावेदक जो अब आवेदक है,जो कोई सूचना प्रकरण के बावत नहीं भेजी गयी , छायाप्रति अवलोकनार्थ

क्र:

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–रीवा

...रण क्रमांक निग0 / 1592–दो / 2012

यदुवंशमणि त्रिपाठी / मुण्डा कोल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ0पी0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 199 / अ–3 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	